

निर्णय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी

श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 113/2011 वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर0टी0ए0

श्रीमति मधु पिता गणेश रावत निवासी जयसिंहपुरा तहसील बड़ीसादड़ी

- वादी

बनाम

- 1- जसराज पिता गणेश रावत निवासी जयसिंहपुरा तहसील बड़ीसादड़ी
- 2- श्रीमति काली बाई पिता गणेश रावत निवासी जयसिंहपुरा तहसील बड़ीसादड़ी
- 3- भैरु पिता गणेश रावत निवासी जयसिंहपुरा तहसील बड़ीसादड़ी
- 4- श्रीमति राधी पिता गणेश रावत निवासी जयसिंहपुरा तहसील बड़ीसादड़ी
- 5- अम्यालाल पिता नाथू रावत निवासी जयसिंहपुरा तहसील बड़ीसादड़ी
- 6- मु. गट्टू बेवा नाथू रावत निवासी जयसिंहपुरा तहसील बड़ीसादड़ी
- 7- श्रीमति सोहनी बाई पत्नी मांगीलाल मीणा निवासी ढीकडियाखेड़ी तहसील बड़ीसादड़ी
- 8- श्रीमति लाली बाई पत्नी बाबरू मीणा निवासी जयसिंहपुरा तहसील बड़ीसादड़ी
- 9- श्रीमति रूपाबाई पत्नी कालु मीणा निवासी जयसिंहपुरा तहसील बड़ीसादड़ी
- 10- तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है।

मौजा मुंजवा व ढिकडिया खेड़ी की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है -
मौजा - मुंजवा

- 1- श्रीमति मधु पिता गणेश रावत सा. देह शेष व रहन जमाबन्दी अनुसार बदस्तूर

आ.न.	रकबा	लगान
155/1	0.19	3.61
1	0.19	3.61

मौजा - ढिकडियाखेड़ी


- 1- श्रीमति मधु पिता गणेश रावत सा. जयसिंहपुरा शेष व रहन जमाबन्दी अनुसार बदस्तूर

आ.न.	रकबा	लगान
44	0.07	0.49
45	0.04	0.28
2	0.11	0.77

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।
निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 को लोक अदालत में सुनाया गया।

मोहर




जितेन्द्र कुमार पाण्डे
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी